

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री अशोक कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा जयपुर जिला जयपुर जन्मतिथि 10.03.1965 को Frankfurt Germany बेटे से मिलने के कारण विदेश यात्रा दिनांक 12.08.2023 से 11.08.2023 **(कुल 61 दिवस)** जाने की अनुमति निर्देशानुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेगें, अवकाश समाप्ति पश्चात अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 82 के प्राधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेवे :-
 - (1) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - (2) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - (3) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय/आज दिनांक तक कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - (4) कार्मिक के विरुद्ध कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जावेगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था-एबी/ए-2/विदेश यात्रा/2022

दिनांक : 06/04/2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
5. श्री अशोक कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा जयपुर।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
Digitally signed by Arvind Kumar Vyas
Designation : Joint Director Personnel
Date: 2023.04.06 08:44:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3576921

